न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) गुडामालानी, जिला–बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

संख्या : 50/2022

प्रार्थीगण
1. गोरधन पुत्र राजूराम
2. दिव्या पुत्री राजूराम
3. गीता पुत्री राजूराम
4. अशोक पुत्र राजूराम नाबालिग जरिये कुदरति वादिला माता प्रार्थी संख्या 5
5. कमलादेवी पत्नी राजूराम

जाति सुनार निवासी नौखडा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र राजूराम
2. शान्तिदेवी पत्नी तिलोकाराम
   जाति सुनार साकिन नौखडा तहसील नौखडा
3. वनाराम पुत्र पेमाराम
   जाति जाट साकिन अर्जुन की ढाणी, छोटू
4. गोरधनराम पुत्र नाथाराम
   जाति जाट निवासी राजनगर मीठीबेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखड़ा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

1. **श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14.06.2022

प्रस्तुत प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह आवेदन पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील नौखड़ा के पटवार मण्डल नौखडा के राजस्व ग्राम नौखडा में खेत खसरा नम्बर 210/2 रकबा 9.0649 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है, जिसमें वादीगण अपनी पैतृक खातेदारी में पैतृक हिस्सा घोषित करने हेतु एक वाद पेश किया है। उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टियों के आधार पर विप्रार्थीगण का पैतृक आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने की धमकियां दे रहा है जबकि प्रार्थीगण इस आराजी पर पुश्तैनी कब्जेके आधार पर काबिज हैं अगर विप्रार्थीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने में सफल होता है तो उससे प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी अतः विप्रार्थी तहसीलदार गुड़ामालानी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद के निर्णय तक उक्त आराजी के रेकर्ड व मौकी की स्थिति यथावत रखें तथा उक्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया [illegible] तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] में लाई गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण के पैतृक हकों की भूमि को बेचान करने पर आमादा है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा अपने पैतृक हकों की घोषणा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है जिसके निस्तारण में समय लगना संभव है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु विप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

सहायक कलक्टर, गुडामालानी

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का गहनाई से अवलोकन व अध्ययन किया। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। हिस्से खुले हुए है। उक्त विवादित आराजी पूर्व मुल्क तिलोकाराम की खातेदारी की थी, तिलोकाराम के स्वर्गवास होने पर तिलोकाराम के पुत्र राजूराम व पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 शान्तिदेवी के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। तिलोकाराम के पुत्र राजूराम का स्वर्गवास होने से राजूराम के विधिक वारिसान प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 एवं विप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजी में नामान्तरकरण किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त आराजी उनके पति के स्वर्गवास होने पर विधि अनुसार प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण को अपने पैतृक हक उनके पिता राजूराम के स्वर्गवास होने से उक्त आराजी में प्राप्त हुए है। प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने अपने पैतृक हकों पर काबिज है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्सों की भूमि के विभाजन हेतु स्वतन्त्र है। प्रार्थीगण के विप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से की भूमि में हक–हिस्सों का निर्धारण मूल वाद पत्र में तय होगें। वर्तमान में उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। कानून की मंशा यह है कि एक सह खातेदार को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये कि वह अन्य सहखातेदार की भूमि पर दखलन्दाजी करे। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस प्रकार के निर्णयों में भी यह अभिमत दिये है कि सहखातेदार के विरूद्ध निशेधाज्ञा जारी की जाकर उसके कब्जा काश्त से वंचित रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

अलावा इसके प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष में उक्त आराजी ग्राम नौखडा के खेत खसरा नम्बर 210/2 रकबा 9.0649 हैक्टेयर की के सम्बन्ध में केवल मात्र तहसीलदार गुड़ामालानी को रेकर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे जाने एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने के आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किये का अनुतोष चाहा है। जबकि विवादित आराजी तहसीलदार नौखडा के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष केवल मात्र काल्पनिक प्रतीत होता है। यहां यह मान भी लिया जावे कि प्रार्थीगण द्वारा भूलवंश तहसीलदार नौखडा के स्थान पर तहसीलदार गुड़ामालानी लिख दिया गया है, परन्तु तहसीलदार को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करें, न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार निषेधाज्ञा जारी किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित बिन्दु प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं क्षति का सिद्धान्त तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में जाहिर नहीं होते हैं। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी को प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करने के आशय की निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझती है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

आदेश आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुड़ामालानी